115+

10000रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000रु.Rs10000 दस हजार रुपये

10000रु.Rs10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. सत्यमेव जयते Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 001816/13

Kishore

20-12-13

[illegible] रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा [illegible] के अधीन

अध्य: भारतीय स्टाम्प अधिनियम इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूची 1 का 1 क संख्या 23 I A With the Permission [illegible] by L.R.D.C. Simdega vide [illegible] Case No. 252/2008-09 order dated 7-10.09

20/12/13

20.12.13

किशोर मुण्डा 20/12/13

§1§ लेख्यकारीगण:- §1§ श्री किशोर मुण्डा पिता स्व0 सोमरा मुण्डा वो §2§ श्री राजेश मुण्डा पिता स्व0 पतरस मुण्डा, दोनों जाति- मुण्डा, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा ठाकुरटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा

.. .. .. बिक्रेतागण ।

शपथ-पत्र संख्या:- 796,797/2013

फोर्म 60

फोर्म 60

सुरेश दास पिता श्री गाडु दास ग्राम गोतरा नया टोली थाना + जिला सिमडेगा 20-12-13

20/12/13

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. सत्यमेव जयते Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 001815/13

20.12.13

§2§ लेख्यधारी:- श्री आनन्द महानन्द पिता स्व0 बुधु महानन्द, जाति- चीक बड़ाईक, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गरजा गिरजाटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 798/2013

पैन न0 AMNPM0931D

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग सात लाख अठहत्तर हजार रूपये अंके 7,78,000/- रूपेये होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा-गोतरा देबरग्राम, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 101 §एक सौ एक§ प्लॉट नं0 4879 §अड़तालिस सौ उनासी§ कुल रकबा 0.49 एकड़ में से 0.27 एकड़ §सताईस डिसमिल§ शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- रास्ता, कच्चा 10 फीट का,

दक्षिण:- टांड़ प्लॉट नं0 4881,

पूरब :- टांड़ जोसेफ तिर्की,

पश्चिम:- टांड़ इसी प्लॉट का अंश राजेश तिर्की ।

मालगुजारी 5 पैसा §पाँच पैसा§ अलावे सेस सलाना ।

राजेश्वरी कुमारी

20.12.13

आनन्द महानन्द
पिता - स्व. बुधु महानन्द
ग्राम - गिरजाटोली
थाना - सिमडेगा
जिला - सिमडेगा
20.12.13

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000
10000 रु. Rs.10000
10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये
10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND
10000 रु. Rs.10000
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

04AA 001814/13

§1§ चूँकि हम लेखयकारीगण को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब हमलोगों ने लेखयधारी से हमारी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए हमलोगों ने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेखयधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचे और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखयधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न हमारे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ हमलोग प्रतिज्ञा करते हैं कि वर्णित बिक्रीत जमीन खतियानी है । जिसका खतियान हमारे परदादा पन्डरा मुण्डा के नाम से नाप दर्ज है । मालगुजारी की रसीद फ्रांसिस मुण्डा वगैरह के नाम से कटती है । उक्त जमीन हमारे दादा एवं पिताजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में आपसी मुँह जबानी मियादी बँटवारा में हमें प्राप्त हुआ है जिसपर हमारा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है तथा किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

(1) [handwritten signatures with dates 20/12/13]

INDIA NON JUDICIAL

१000रू. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 252/2008-09 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 7.10.09 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 888§1§ दिनांक 7.10.2009 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

मैं/हमलोग लेख्यकारीगण यह घोषणा करते हैं कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

(1) किशोर मुण्डा 20/12/13 (2) राजेश मुण्डा 20.12.13

(1)

(2)

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्य धारीगण के बाएं हाथों की पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया। Paduman Singh Adv 20-12-13

(1) किशोर मुण्डा 20/12/13 (2) राजेश मुण्डा 20.12.13

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

आनन्द महानन्द
20-12-2013

Anand Mahanand

Paduman Singh
20-12-13

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी के बाएँ हाथ की पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया। Paduman Singh Adv 20-12-13

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

03AA 317704

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Praduman Singh

{प्रारूपकर्त्ता}

तारीखः- 20-12-13

(1) 20/12/13

(2) 20.12.13

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 658 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो0 मकसूद 20-12-2013

मो0 मकसुद

कचहरी परिसर,

सिमडेगा ।